

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।

पत्रांक : 1551 / वाद सं० एल-0116/एस-6/2024,

दिनांक:

,2025 3/7/25

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि श्री मुस्ताक/सुमित एवं श्री राजेन्द्र, पोलटेक्निक रोड़ गली न०-8, नियर-ओम विहार सहस्त्रधारा देहरादून, द्वारा उपरोक्त स्थल पर प्राधिकरण से बिना तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना 8-10 बीघा के क्षेत्रफल में प्लॉटिंग डिमार्केशन कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य किये जाने के कारण प्राधिकरण द्वारा उत्तराखण्ड (उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973) संशोधन अधिनियम 2009 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राधिकरण में वाद संख्या एल-0116/एस-6/2024 योजित किया गया है। क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा दिनांक 07.05.2025 की आख्यानानुसार, विपक्षी को उपरोक्त प्लॉटिंग को ध्वस्त करने हेतु 15 दिवसों का समय दिया गया था परन्तु आतिथि तक भी विपक्षी द्वारा पाँच माह बीत जाने के बाद भी ना कोई मानचित्र, स्वीकृत करवाया गया, ना ही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया गया, अतः उक्त प्लॉटिंग दिनांक 07.12.2025 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 0/C

प्रतिलिपि:-1 पुलिस अधीक्षक, नगर देहरादून को इस आशय से कि नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

2- नायब तहसीलदार देहरादून, को अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्र०) देहरादून के पत्र सं० 1205/ विविध -जेए/2024 दिनांक 07.11.2024 द्वारा ध्वस्तीकरण एवं सीलिंग के दौरान चयनित स्थल पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु नामित किया गया है। कृपया उक्त तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहें।

3- थानाध्यक्ष राजपुर को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

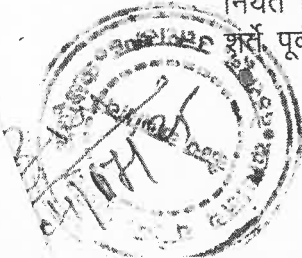
4- सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता/अवर अभियन्ता (इलेक्ट्रीकल्स)/समस्त प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर प्राधिकरण कार्यालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण को ध्वस्तीकरण करने की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

5- नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को ध्वस्तीकरण से संबन्धित समस्त सामग्री (जे.सी.बी.)संबन्धित सहायक अभि०/अव० अभि० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

6- श्री मुस्ताक/सुमित एवं श्री राजेन्द्र, पोलटेक्निक रोड़ गली न०-8, नियर-ओम विहार सहस्त्रधारा देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्माण को दिनांक.....को ध्वस्त किया जाना है। विपक्षी नियत तिथि पर स्थल पर उपस्थित रहकर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादन करवायें। शेष नियम व शर्तें पूर्व प्रेषित पत्र सं० 3867 दिनांक 07.01.2025 के अनुसार मान्य होगी।

भवदीय,

पी०अधि०/संयुक्त सचिव,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून। 0/C



MSH 354
20545
7/25

